(2009) 1 एस.सी.आर. 585

गिरधर कुमार दधिच और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

सिविल अपील नं0 388 सन् 2009

23 जनवरी 2009

(एस.बी. सिन्हा और जे.एम. पंचाल, जे.जे.)

सेवा विधि–नियुक्ति–उच्चतम द्वारा अध्यापकों के 10 पदों पर नियुक्ति को भविष्यलक्षी प्रभाव से असंवैधानिक घोषित किया गया – 8 अभ्यार्थियों की विर्निदिष्ट तिथि से पहले नियुक्ति हुई थी – असफल अभ्यार्थियों का रिक्त पदों पर नियुक्ति का दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उनका प्रकरण उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आच्छादित होता है – अभ्यार्थियों ने यह तर्क दिया था कि विर्निदिष्ट तिथि के बाद जो रिक्तियां भरने से रह गयी थीं, उन पर यह निर्णय प्रभावी नहीं होता– अभिनिर्धारित पदों के लिए 1998 में तैयार की गयी चयन सूची को एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण समय सीमा खत्म हो चुकी थी, समय–सीमा खत्म हो जाने के कारण उसके आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती – अभ्यार्थी नियुक्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं।

रिट याचिका अभ्यार्थियों द्वारा यह कहते हुए प्रस्तुत की गयी कि, जिन नियमों के आधार पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड (3) के पदों पर भर्ती की गयी थी वह असंवैधानिक घोषित कर दिये गये हैं, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए क्योंकि योग्यता सूची पर वे ऊपर के स्थान क्रम सं0 6 व 9 पर थे।

रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, वह आदेश जिसमें प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कैलाश चन्द्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (2002) 6 एस.सी.सी. 562 में पुष्ट किया गया व उसे 18.11.1999 से भविष्यलक्षी प्रभाव दिलाया गया।

रिट याचिका उच्च न्यायालय के एकल जज द्वारा समय–सीमा से बाधित होने के कारण निरस्त कर दी गयी थी। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा उपरोक्त आदेश को पुष्ट करते हुए यह कहा कि प्रकरण कैलाश चन्द्र शर्मा के निर्णय से आच्छादित होता है। अतः यह अपील प्रस्तुत की गयी।

इस अपील में अभ्यार्थियों के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि वाद कैलाश चन्द्र शर्मा के वाद से आच्छादित नहीं होता क्योंकि यह वाद उन कर्मचारियों की नियुक्ति का था जिनकी नियुक्ति 18.11.1999 या उससे पूर्व की जा चुकी है न की उसके बाद बची रह गयी रिक्तियों के भरे जाने पर, यह कि 2003।

इस न्यायालय द्वारा अपील निरस्त।

अभिनिर्धारितः 1.

चयन सूची उस समय के नियमों को ध्यान में रखते हुए 1998 में बनायी गयी थी। उन नियमों को जिनके द्वारा अधिमान के रूप में अतिरिक्त अंक दिया जाना था, असंवैधानिक घोषित किया गया और इस न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में दिये गये क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसको भविष्यलक्षी प्रभाव दिया। यह उन शिक्षकों के हितों की रक्षा हेतु किया गया जो नियुक्त हो चुके थे या कुछ वर्षो से सेवा में थे। 10 पदों में से 8 अध्यापक 18 नवम्बर 1999 को या उससे पहले नियुक्त हुए थे जो विर्निदिष्ट तिथि थी। (प्रस्तर 15) (590–एफ–एचय 591–ए)

2. चयन सूची सामान्य आधार पर एक वर्ष के लिए वैध रहेगी। 2003 और उसके बाद की नियुक्तियों का कोई आधार नहीं है। क्या चयन सूची की समय–सीमा बढ़ायी गयी या नहीं, यह जानकारी में नहीं है। चयन सूची में समय–सीमा आवश्यक रूप से नियमों के अनुसार बढाई जानी चाहिए। इस गलत कथन के अलावा कि चयन सूची की समय सीमा बढ़ाई गयी थी, इसके समर्थन में कोई अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधि व्यवस्था संदर्भितः राजस्थान राज्य और अन्य बनाम जगदीश चोपड़ा 2007 (8) एस.सी.सी. 161 पर निर्भर है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं0 388 सन् 2009 उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर की खण्डपीठ द्वारा सिविल विशेष अपील (डब्लू) सं0 147 सन् 2006 में पारित निर्णय एवं अन्तिम आदेश दिनांकित 14.02.2006 सेः–

एम 0 आर 0 काला, मुकुल कुमार, ऋषि मटोलिया और पी0 डी0 शर्मा अपीलार्थियों के लिए।

नवीन सिंह और अरूणेश्वर गुप्ता उत्तरदाताओं के लिए।

2. इस न्यायालय द्वारा कैलाशचन्द्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2002) 6 एस.सी.सी. 562 में पारित निर्णय की व्याख्या का प्रश्न, वर्तमान अपील में विद्धमान है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर की खण्डपीठ द्वारा सिविल विशेष अपील (डब्लू) सं0 147 सन् 2006 में पारित निर्णय आदेश दिनांकित 14 फरवरी 2006 से संबंधित है।

3. अविवादित रूप से विज्ञप्ति शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ग्रेड– (3)के 10 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 9 अगस्त 1998 को प्रकाशित की गयी, जिसमें विशिष्ट जनपदों में रहने वाले अभ्यार्थियों को 10 अतिरिक्त अंक अधिलाभ के रूप में दिये गये, ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अभ्यार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक अधिलाभ के रूप में दिये गये।

4. अधिलाभ के रूप में दिये गये अतिरिक्त अंकों की वैधता/वैधानिकता को चुनौती सन् 1999 में रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए दी गयी। उपरोक्त प्रश्न को पूर्ण पीठ के समक्ष निर्दिष्ट कर दिया गया। न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उपरोक्त प्रावधान को निर्णय आदेश दिनांकित 18 नवम्बर 1999 के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।

5. पूर्ण पीठ के उपरोक्त निर्णय पर अपीलार्थियों द्वारा उसी उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं सं0 1818/2001 और 1802/2002 यह कहते हुए प्रस्तुत की गयी कि पूर्ण पीठ के निर्णय के आलोक में योग्यता सूची में उनका स्थान क्रम सं0 6 व 9 पर होगा। उपरोक्त रिट याचिका लंबित रही।

6. इस न्यायालय द्वारा कैलाश चन्द्र शर्मा (ऊपर) में पारित पूर्ण पीठ के निर्णय को पुष्ट रखते हुए कि अधिलाभ के रूप में दिये गये अतिरिक्त अंक असंवैधानिक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में मिले क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए संभावित अभिनिर्णय के सिद्धान्त का प्रयोग करना उचित है, यह कहते हुए पाया गयाः ''दिनांक 17.11.1999 तक हुई नियुक्तियों को निर्णय में पारित सिद्धान्त के आधार पर फिर से खोला जाना व पुर्नविचार किया जाना जरूरी नहीं है।''

7. राजस्थान राज्य द्वारा आदेश दिनांक 12 जून 2003 के द्वारा भवर लाल गोसार (मोतसर) को नियुक्त किया गया। दो अपीलार्थियों द्वारा दो रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गयी। तदापि, इस दौरान डूलीचन्द द्वारा एक रिट प्रार्थनापत्र एस 0 बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1401 सन् 2003 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। माननीय उच्च न्यायालय की विद्वान एकलपीठ के द्वारा रिट याचिका यह कहते हुए 17 फरवरी 2003 को निरस्त कर दी गयी कि याचिका समय सीमा व समय सीमा के परिपेक्ष में कमियों से बाधित है। डूलीचन्द के निर्णय (ऊपर) का अनुसरण करते हुए एकलपीठ के द्वारा आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2003 से अपीलार्थियों के

रिट प्रार्थनापत्र (सिविल रिट पिटीशन सं0 5510/2002, 1818/2001 एवं 1802/2002) भी निरस्त कर दिया गया।

8. इससे व्यथित और असंतुष्ट अपीलार्थियों के द्वारा एक अन्तर– न्यायालय अपील डी.वी. विशेष अपील (डब्लू) सं0 103 सन् 2004 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे खण्डपीठ द्वारा यह कहते हुए निस्तारित कर दी गयी कि आवेदक संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन करें व संबंधित प्राधिकारी उसे 10 दिन के अन्दर निर्णीत करे।

9. अपीलार्थी द्वारा 10 जुलाई 2005 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे उत्तरदाता द्वारा आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

10. अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक अन्य रिट प्रार्थनापत्र एस.बी. सिविल रिट याचिका सं0 9253 सन् 2005 प्रस्तुत की गयी, जो डूलीचन्द में पारित आदेश का अनुसरण करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा निरस्त कर दी गयी।

11. अपीलार्थियों द्वारा 1 अन्तर न्यायालय अपील आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। खण्डपीठ ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया कि प्रकरण इस न्यायालय के कैलाश चन्द्र शर्मा (ऊपर) में पारित निर्णय से आच्छादित है।

12. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम 0 आर 0 काला, ने यह तर्क प्रस्तुत किया है किः–

(1)– माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इस न्यायालय के कैलाश चन्द्र शर्मा (ऊपर) में दिये गये निर्णय की गलत रूप में व्याख्या करते हुए पढ़ व समझ लिया है। उनके द्वारा यह संज्ञान में नहीं लाया गया कि उपरोक्त निर्णय में केवल उन्हीं लोगों के वाद आच्छादित थे, जिनकी नियुक्ति 18 नवम्बर 1999 को या उससे पहले की है।

(2)– भवर लाल मोतासर की नियुक्ति वर्ष 2003 में खाली रह गयी रिक्तियों के सापेक्ष हुई है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन पर कैलाश चन्द्र शर्मा (ऊपर) का निर्णय प्रभावी होगा।

(3)– उत्तरदाताओं का यह तर्क कि जो दो रिक्तियां 2003 में भरी गयी उसमें से एक पिछड़ा वर्ग कोटे के व अन्य सामान्य कोटे के सापेक्ष उन लोगों से भरी गयी जो योग्यता क्रम में अपीलार्थी से उपर स्थित थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि उत्तरदाता पहले से ही पिछड़ा वर्ग कोटा के तहत चार व्यक्तियों की नियुक्ति वर्ष 1999 में ही कर चुके थे।

(4)– जैसा कि रिक्तियां वर्तमान में अभी भी खाली हैं, अन्य अभ्यर्थियों को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी को समायोजित किया जा सकता है।

13. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन सिंह द्वारा यह तर्क दिया गया कि–

(1)– जो तर्क अपीलार्थियों द्वारा यहां प्रस्तुत किया गया है वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष उस तर्क को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(2)– अपीलार्थियों द्वारा कोई रिट याचिका वर्ष 1998–1999 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गयी। अतः समय सीमा व समय सीमा से संबंधित कमियों के आधार पर सही निरस्त की गयी है।

(3)– रिक्त पदों पर नियुक्ति उन अभ्यार्थियों के संदर्भ में की गयी जो आरक्षित वर्ग के थे या चयन सूची पर योग्यता क्रमांक में ऊपर थे, अपीलार्थियों की नियुक्ति हेतु इस स्तर पर कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता।

14. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वन्दी तर्को पर विचार करने से पहले हम यह संज्ञान ले सकते हैं कि अपीलार्थियों के अनुसार आज भी दो रिक्तियां हैं। अपीलार्थियों द्वारा तैयार किये गये चार्ट और जो अभिलेख हमारे समक्ष रखे गये है, उसमें कुछ विसंगति है। इस स्तर पर जब कि हमारे समक्ष वह अभ्यार्थी जो नियुक्त हो चुके हैं, पक्षकार नहीं है। उपरोक्त विवरण की बारीकी में जाना संभव नहीं है।

15. चयन सूची वर्ष 1998 में तैयार की गयी थी, हमारे विचार में इस स्तर पर अभ्यार्थियों की नियुक्ति हेतु कोई निर्देश देना कठिन होगा। चयन सूची उस समय विधमान नियमों को देखते हुए तैयार की गयी थी। यघपि उपरोक्त कथित नियम असंवैधानिक घोषित किये जा चुके हैं, लेकिन जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि इस न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करते हुए इसको भविष्य लक्षी प्रभाव दिया था। ऐसा उन अध्यापकों की सेवा को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था, जो पहले ही नियुक्त किये जा चुके थे, वह कुछ वर्षो से सेवा में थे। 10 शिक्षकों में से 8 शिक्षक 18 नवम्बर 1999 या उससे पूर्व ही नियुक्त किये जा चुके थे, जो कि विर्निदिष्ट तिथि थी।

16. यह निर्विवादित है कि इस न्यायालय द्वारा कैलाश चन्द्र शर्मा (ऊपर) में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में चयन सूची को संशोधित किया गया।

17. इस प्रश्न पर कि क्या अपीलार्थी उन नवीन नियुक्त अभ्यार्थियों से जिनको उपरोक्त संसोधन के परिप्रेक्ष्य में नियुक्त किया गया, चयन सूची में अपीलार्थियों से उपर के स्थान पर थे या नहीं, हमारे विचार में इस स्तर पर प्रथम बार नहीं देखा जा सकता, जबकि यह तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही जब संपूर्ण अभिलेख इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं है।

18. यह कहा गया है कि दो नियुक्तियां वर्ष 2003 में हुई– एक पिछड़ा वर्ग के कोटा के सापेक्ष व अन्य सामान्य कोटा के सापेक्ष। यह हमारे लिए संभव नही है कि हम इस प्रश्न पर जाए कि वर्ष 1998–1999 में ही पिछड़े वर्ग के पूर्ण कोटा के सापेक्ष नियुक्तियां कर दी गयी थी, या नहीं तथा कोटे के रिक्त पदो के सापेक्ष की गयी, नियुक्तियां वैध थी या नहीं। संबंधित उत्तरदाता हमारे समक्ष पक्षकार नहीं है। हमको यह भी नहीं सूचित किया गया कि क्या अन्य व्यक्ति जो मूल चयन सूची में छोड़ दिये गये हैं, या नहीं।

19. इसके अलावा चयन सूची सामान्य तौर पर एक वर्ष के लिए वैध रहेगी। हम यह समझने में असमर्थ है कि 2003 या उसके बाद किस आधार पर नियुक्तियां कर दी गयी। यह भी नहीं पता कि क्या चयन सूची की वैधता बढ़ाई गयी थी, या नहीं। चयन सूची की समय–सीमा का विस्तार कानून के अनुसार ही करना चाहिए। इस गलत कथन के अलावा कि कथित चयन सूची की वैधता की तिथियां बढाई गयी थी, उसके समर्थन में कोई अभिलेख हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस न्यायालय ने राजस्थान और अन्य बनाम जगदीश चोपड़ा (2007) 8 एस.सी.सी. 161) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

''9. राजस्थान राज्य में अध्यापकों की नियुक्ति स्वीकार्य रूप से विधिक नियमों के द्वारा शासित होती है। अतः सभी चयन अनिवार्य रूप से उनके आधार पर ही किये जाने चाहिए। हालांकि नियम 9(3) यह विशिष्ट तौर पर नहीं बताता कि कितने समय तक योग्यता सूची वैध रहेगी, लेकिन विधायिका की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है जैसा कि रिक्तियों का निर्धारण वर्ष में एक बार ही किया जाना है। रिक्तियां जो अग्रिम वर्ष में हुई हैं वह पिछले वर्ष की चयन सूची से भरी जा सकती हैं, अन्य तरीके से नहीं है। अन्यथा भी, किसी नियम की अनुपस्थिति में भी, योग्यता की सूची की वैधता सामान्य तौर पर एक वर्ष के लिए है।

बिहार राज्य बनाम अमरेन्द्र कुमार मिश्रा ((2006) 12 एस.सी.सी. 561) में इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की है कि ''एस.सी.सी. पी–564, प्रस्तर–9).

''9 उपरोक्त स्थिति में, हमारी राय में उसको नियुक्ति का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यह सर्वविदित है कि पैनल की उम्र 1 वर्ष के लिए ही वैध थी। एक बार यह व्यतीत हो गया तब व जब तक कि राज्य के द्वारा कोई उपर्युक्त आदेश न किया जाए उस पैनल से कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। पुनः आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि– (एस.सी.सी. पी–565, प्रस्तर–13),

''13 जिन निर्णयों का इसके पहले संज्ञान लिया गया है, इस प्रस्ताव का प्राधिकार करती हैं कि प्रतीक्षा सूची पर कार्य विज्ञप्ति में दी गयी शर्तो के अनुसार ही किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में वह निर्धारित अवधि से अधिक सक्रिय नहीं रह सकती।

11. यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि चयनित अभ्यार्थियों को भी इस संबंध में विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। (देखे शंकर सरन दास बनाम भारत संघ (1991) 3 एस.सी.सी. 47 और आशा कोल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1993) 2 एस.सी.सी. 573)''

20. उपरोक्त दिये गये कारणों से हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते, तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है। तदापि वाद के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए हर्जे के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

के.के.टी. **अपील निरस्त।**

अनुवादकर्ता

(मनीन्द्र पाल सिंह)
लघुवाद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 2059